आईसी. -02 - जीवन बीमा के व्यवहार

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 3 - 1.2 भारतीय बीमा क्षेत्र का उदारीकरण

- वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र को उदार बनाया गया और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। विदेशी कंपनियों को स्वदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हालांकि, बीमा में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति थी। बीमा नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 2015 के लागू होने पर सह-अनुरोध से बीमा क्षेत्र में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई है।.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 3 - 1.2 भारतीय बीमा क्षेत्र का उदारीकरण

- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 में बीमा क्षेत्र को उदार बनाया गया और निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हालांकि, बीमा में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया था। और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद, बीमा में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई है।